# बिहार सरकार
## ग्रामीण विकास विभाग
# लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान
## दिशानिर्देश

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य है जिसे केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G) तथा राज्य सम्पोषित लोहिया स्वच्छता योजना के प्रावधानों से पूरा किया जाना है।

बिहार सरकार (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) की संकल्प संख्या : पी.एच./बि.ज.स्व. मि.- 101/2016-347, दिनांक : 04.03.2016 द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G) एवं लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) को सम्मिलित किया गया है तथा बिहार सरकार (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) के संकल्प संख्या : पी.एच./बि.ज.स्व.मि.- 107/2016-741, दिनांक : 01.06.2016 द्वारा लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान (LSBA) के क्रियान्वयन का दायित्व ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है।

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक : 275537, दिनांक : 17.06.2016 एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक : 890, दिनांक : 30.06.2016 द्वारा इस योजना का प्रभार प्राप्त कर लेने का निर्देश सभी जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को भेजा जा चुका है।

**स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G) :-** एक केन्द्रीय सहायता प्रदत योजना है (केन्द्रांश एवं राज्यांश क्रमश: 60:40) जिसके अन्तर्गत ग्रामीण समुदाय को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय एवं इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहन, सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (Community Sanitary Complexes) का निर्माण तथा समुदाय आधारित ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (Solid Liquid Waste Management) जैसे कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है।

**लोहिया स्वच्छता योजना (LSY) :-** राज्य द्वारा सहायता प्रदत योजना है जिसके तहत शौचालय निर्माण के संदर्भ में सम्पूर्ण आच्छादन हेतु वैसे अन्य चिन्हित श्रेणी के APL परिवारों, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (SBM-G) के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हैं, के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (I.H.H.L.) का निर्माण कराया जाना है।

**लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) का उद्देश्य :-**

क) "खुले में शौच मुक्त बिहार" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समयबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का आच्छादन।

ख) स्वच्छता अभियान की गतिविधियों से विभिन्न भागीदारों यथा पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों, संकुल स्तरीय संघों, ग्राम संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, नि:शक्त स्वयं सहायता समूह विभिन्न सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करना।

ग) सामूहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (CLTS) की रणनीति को अपनाना जो सारे समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करे।

घ) समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु ठोस एवं तरल अवशिष्ट के प्रबंधन (SLWM) का क्रियान्वयन।

1. **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) क्रियान्वयन हेतु संरचना :-**

a) **राज्य स्तरीय संरचना :**

राज्य स्तरीय संरचना के शीर्ष पर प्रधान सचिव / सचिव ग्रामीण विकास विभाग होंगे। LSBA के कार्यान्वियन हेतु राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU- LSBA) कार्यरत रहेगा जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका मिशन निदेशक होंगे तथा उनके तकनीकी सहयोग हेतु राज्य समन्वयक एवं राज्य परियोजना प्रबंधक – स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पोषण (SPM- SHN) एवं अन्य विषय विशेषज्ञ होंगे।

b) **जिला स्तरीय संरचना:**

जिला स्तर पर LSBA के कार्यान्वियन हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) कार्यरत है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हैं एवं उपाध्यक्ष उप विकास आयुक्त हैं। निदेशक–लेखा, जिला ग्रमीण विकास अभिकरण (DRDA) इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जिला जल स्वच्छता समिति (DWSC) के सदस्य रहेंगे। जिला परियोजना प्रबंधक (DPM)– जीविका भी इस समिति के सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य पूर्व की भांति पदेन सदस्य रहेंगे। DWSC के सहयोग हेतु जिला स्तर पर जिला समन्वयक, सहायक समन्वयक (तकनीकी) तथा अन्य कुछ तकनीकी परामर्शी (आई.ई.सी., मानव संसाधन विभाग, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, स्वच्छता तकनीकी विशेषज्ञ, ठोस, तरल अवशिष्ट प्रबंधन, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर इत्यादी) होंगे जिनकी नियुक्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

लोहिया स्वच्छ बिहार योजना जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में किया जाना है। जिला पदाधिकारी द्वारा स्वच्छता मिशन क्रियान्वयन के संबंध में दिए गए निर्देश का उप विकास आयुक्त अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे एवं जिला जल स्वच्छता समिति के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे

c) **प्रखण्ड स्तरीय संरचना :**

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) के कार्यान्वियन हेतु राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण इकाई (BPMU) का गठन किया जाना है। इस इकाई में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पदेन अध्यक्ष होंगे, प्रखण्ड समन्वयक सदस्य सचिव होंगे तथा अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक (जीविका) सदस्य की भूमिका निभायेंगे। केन्द्र प्रबंधक – बुनियाद केन्द्र, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी भी इसके सदस्य हो सकते हैं जो LSBA के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समन्वयन में सहयोग करेंगे।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। BPMU के तकनीकी सहयोग हेतु प्रखण्ड समन्वयक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर होंगे तथा आवश्यकतानुसार संकुल समन्वयक (Cluster Coordinator) होंगे जिनकी बहाली हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

d) **ग्राम पंचायत स्तरीय संरचना :-**

पंचायत स्तर पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे एवं वार्ड सदस्य, संकुल संघ/ ग्राम संगठन (जीविका) के प्रतिनिधि, पंचायत रोजगार सेवक, इंदिरा आवास सहायक, किसान सलाहकार इत्यादि सदस्य रहेंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्ड स्तर पर समिति होगी जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होंगे तथा समिति में संकुल संघ / ग्राम संगठन (जीविका) के प्रतिनिधि, ऑंगनवाड़ी सेविका/सहायिका, आशा कार्यकर्त्ता, ANM, विकास मित्र, टोला सेवक, स्कूली बच्चे, शिक्षकगण, जागरूक दिव्यांग व्यक्ति (Disabled person) भी होंगे।

2. जिला जल स्वच्छता समिति (DWSC) के दायित्व एवं कार्य :-

a) LSBA के क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU – LSBA) से प्राप्त निर्देश के आलोक में बैंक खाता खोलना एवं खाते का संचालन करना।

b) जिला जल स्वच्छता समिति (DWSC) कार्यालय हेतु उपयुक्त कार्यालय स्थान चिन्हित करना तथा आवश्यक उपस्कर उपलब्ध कराना, यथा :- कुर्सी - 10, टेबुल – 8, आलमीरा – 2, कम्प्यूटर – 2, प्रिन्टर – 2, स्कैनर – 1, इंटरनेट कनेक्शन – 1 (आवर्ती व्यय 2000/- दो हजार रूपये प्रतिमाह तक), कम्प्यूटर टेबुल - 2 आदि। इस कार्य हेतु आवश्यक व्यय SBM-G के Admin. मद से किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष / उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति के कार्यालय हेतु उपयुक्त स्थान एवं आवश्यक उपस्कर की उपलब्धता दिनांक 15.08.2016 तक सुनिश्चित करेंगे।

c) जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) संबंधित जिले को उनके निर्धारित तिथि तक खुले में शौच से मुक्त करने हेतु जिला की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU – LSBA) जीविका को सौंपेंगे। प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों यथा बांका, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चमपारण, सीतामढ़ी एवं वैशाली को 02 अक्टूबर, 2017 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। गंगा कार्य योजना के तहत राज्य के 12 जिलों यथा बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली जिलों के गंगा किनारे अवस्थित 61 प्रखण्डों के 307 ग्राम पंचायतों को नवम्बर, 2016 तक खुले में शौच से मुक्त बनाए जाने का लक्ष्य है। शेष 29 जिलों को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त बनाया जाना है। वर्षवार लक्ष्य निम्नवत है :-

| कार्य वर्ष | जिला | पंचायत | घरेलू शौचालयों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 38 | 1999 | 41,26,766 |
| 2017-18 | 38 | 2868 | 55,75,940 |
| 2018-19 | 29 | 2675 | 48,93,761 |
| 2019-20 | 29 | 803 | 14,68,128 |

**(Annexure- A)**

खुले में शौच से मुक्त (ODF) – बिहार की प्राप्ति हेतु समुदाय आधारित संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए LSBA अंतर्गत 131 प्रखण्डों को ODF करने का दायित्व जीविका के संकुल संघों / ग्राम संगठनों को सौंपा गया है। शेष 403 प्रखण्डों को ODF करने का दायित्व DWSC का होगी (सूची संलग्न) जिनमें DWSC, ODF/शौचालय निर्माण हेतु क्रियान्वयन इकाई के रूप में प्रखण्ड / ग्राम पंचायत / संकुल संघ / ग्राम संगठन, जीविका, इत्यादि का चयन करने हेतु स्वतंत्र होगा।

**(Annexure-B)**

d) जिला जल एवं स्वच्छता समिति अपनी कार्ययोजना (सम्पूर्ण आच्छादन) के अनुरूप जिला संसाधन सेवी (DRP), समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता उत्प्रेरक (CLTS Facilitator), स्वच्छता सामुदायिक संसाधन सेवी (Sanitation -CRP), राजमिस्त्री इत्यादि की पहचान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इनका Resource Pool तैयार करेगी।

e) प्रखण्डों से प्राप्त अद्यतन Baseline Survey एव ODF की कार्ययोजना (ODEP) को अधिकतम 15 दिनों के अन्दर स्वीकृति प्रदान करना एवं इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार DWSC की विशेष बैठक आहूत करना तथा MIS में Data अद्यतन करना।

f) जिला जल एवं स्वच्छता समिति जिले को चरणबद्ध तरीके से खुले में शौच से मुक्त की दिशा में क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण, (दिव्यांग उन्मुखीकरण सहित) जागरूकता अभियान, कार्यशाला इत्यादि की कार्य योजना तैयार करेगा तथा क्षमतावर्धन के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक उपकरण / सामग्री का क्रय भी करेंगे।

g) शौचालय निर्माण के उपयोग में आने वाली सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए समुदाय आधारित Sanitary Mart या सक्षम/ उपलब्ध आपूर्तिकर्त्ताओं की पहचान कर गुणवत्ता सहित उचित दर पर सामग्री की उपलब्धता DWSC द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

h) LSBA के चरणबद्धता एवं आवश्यकता के आधार पर जिला जल एवं स्वच्छता समिति वार्षिक क्षमता संवर्धन कैलेण्डर एवं प्रखण्डवार कार्य योजना का निर्माण करेगी, जिसका क्रियान्वयन कैलेण्डर में निर्धारित समय सीमा के अनुरूप किया जायेगा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण वार्षिक कैलेण्डर के आधार पर जिला पदाधिकार-सह-अध्यक्ष द्वारा मासिक तौर पर किया जायेगा। जिला समन्वयक तथा जिला परामर्शदाता के सहयोग से निदेशक, DRDA मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला में किए गए स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट कार्यों की समीक्षा कर प्रति वर्ष 02 अक्टूबर को इस कार्य से संबंधित व्यक्तियों को जिला पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

3. **प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) के दायित्व एवं कार्य :-**

a) प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई (BPMU) के संचालन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्यालय स्थान का व्यवस्था करना तथा कार्यालय हेतु आवश्यक उपस्कर की उपलब्धता सुनिश्चित करना यथा :- कुर्सी – 2, टेबुल – 2, कम्प्यूटर – 1, आलमीरा – 1, इन्टरनेट – 1 (आवर्ति व्यय 2000/- रूपया प्रतिमाह तक )। इस कार्य हेतु आवश्यक व्यय SBM-G के Admin. मद मे किया जायेगा।

b) प्रखण्ड स्तरीय समिति का गठन एवं नियमित बैठक कर प्रखण्ड को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु कार्य योजना तैयार करना।

c) प्रखण्ड को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायतवार / ग्रामवार कार्य योजना (सम्पूर्ण आच्छादन के आधार पर ) तैयार करना एवं ग्राम पंचायतों से प्राप्त ODEP को एक सप्ताह के अन्दर DWSC को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करना एवं इसके लिए आवश्यकतानुसार Resource Pool तैयार करना एवं आवश्यक सामग्री आपूर्ति (Sanitary material supply chain) सुनिश्चित करना। प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा आवश्यकतानुसार चरणबद्ध क्षमतावर्धन योजना तथा कैलेन्डर तैयार कर इस हेतु आवश्यक संसाधन सेवियों (CRP), CLTS Facilitator, राजमिस्त्री इत्यादि को चिन्हित कर उनके प्रशिक्षण (दिव्यांग अनुकूल शौचालय सहित) की व्यवस्था करना।

d) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी द्वारा लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रखण्ड में कार्यरत संबंधित पर्वेक्षकों यथा - इंदिरा आवास सहायक/ पंचायत सचिव / पंचायत रोजगार सेवक के बीच एक-एक पंचायत आवंटित करेंगे। पंचायत आवंटन में इंदिरा आवास सहायक को प्राथमिकता दी जायेगी तथा पंचायत आवंटन की सूचना विहित प्रपत्र में जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को दी जायेगी।

( Annexure – C)

e) ग्राम पंचायत से सम्बद्ध कर्मी का ग्राम पंचायत के Baseline Survey को अद्यतन करने का दायित्व होगा तथा इस कार्य में पंचायत स्तरीय अन्य कर्मी सहयोग करेंगे।

f) अद्यतन सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई के माध्यम से जिला जल एवं स्वच्छता समिति को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

g) प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा प्रखण्ड में निर्मित शौचालयों का 25% सत्यापन किया जायेगा।

h) प्रखण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा पंचायतवार एवं वार्डवार किए जा रहे खुले में शौच से मुक्त योजना की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण नियमित रूप से प्रतिमाह किया जाना है तथा प्रगति प्रतिवेदन जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराया जाना है।

4. **ग्राम पंचायत स्तरीय सहयोग समिति के दायित्व एवं कार्य :-**

a) ग्राम पंचायत स्तर पर LSBA के सफल कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत मुखिया के नेतृत्व में वार्डवार विस्तृत कार्य योजना CLTS के सात दिन के अन्दर प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी को सौपना तथा वार्ड स्तरीय सहयोग समिति को भी कार्य योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

b) ग्राम पंचायत को ODF घोषित करने हेतु DWSC से अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वयन इकाई को इस दिशा में सहयोग करना।

c) ग्राम पंचायत द्वारा CLTS हेतु आवश्यक संसाधन सेवी को चिन्हित कर क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण (आवश्यक Flip chart, नुक्कड़ नाटक , दिव्यांग जनजागरूकता सहित विडियो प्रदर्शन, स्वच्छता रैली इत्यादि) के माध्यम से दिया जायेगा।

d) ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन baseline survey का ग्राम सभा से अनुमोदन कराया जाना।

e) संबंधित ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने हेतु व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण के अतिरिक्त सभी ग्रामीण संस्थान जैसे विद्यालय, आँगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द्र, पंचायत कार्यालय इत्यादि में भी शौचालय निर्माण अनिवार्य किया जाना।

f) ग्राम पंचायत द्वारा समुदाय आधारित Sanitary Mart या उपलब्ध बाजार से आवश्यक सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने में सहयोग करना।

g) ग्राम पंचायत द्वारा अत्यंत गरीब परिवारों, दिव्यांगों, वृद्ध, विधवा अन्य विशिष्ट श्रेणी वाले परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर शौचालय का निर्माण किया जाना।

h) ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण का भौतिक सत्यापन अनुश्रवण एवं निगरानी किया जाना है।

5. **वार्ड स्तरीय सहयोग समिति के दायित्व एवं कार्य :-**

a) अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वार्ड स्तर पर समुदायिक उत्प्रेरण (Community Mobilization) CLTS के द्वारा किया जाना एवं इसके उपरान्त Baseline Survey में छूटे हुए परिवारों को जोड़कर अद्यतन सूची तैयार करना।

b) वार्ड स्तर समिति द्वारा उत्प्रेरण एवं उन्नमुखीकरण हेतु कार्यक्रम के संचालन में सहयोग किया जाना तथा वार्ड स्तर पर शौचालय का ससमय निर्माण एवं उपयोग की निगरानी की जिम्मेवारी तथा चिन्हित दिव्यांग व्यक्तियों के घर में दिव्यांग अनुकूल शौचालय का निर्माण किया जाना।

c) वार्ड स्तर पर समिति सदस्य के रूप में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ/ विद्यालय शिक्षकगण/ आँगनवाड़ी सेविका/ सहायिका, आशा कार्यकर्त्ता, विकास मित्र, किसान सलाहकार, दिव्यांग मित्र, जागरूक दिव्यांक व्यक्ति आदि हो सकते हैं।

d) वार्ड स्तर समिति द्वारा शौचालय निर्माण हेतु अपेक्षित सामग्री की समुदाय आधारित खरीदारी को प्रोत्साहित किया जाना।

e) वार्ड स्तरीय सदस्यों द्वारा वार्ड में निर्मित सभी शौचालयों का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाना।

6. **पारिवारिक व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु Baseline Survey को अद्यतन करने की प्रक्रिया :-**

a) सर्वप्रथम कार्य योजना के अनुरूप वार्ड/ ग्राम/ ग्राम पंचायत में CLTS द्वारा सामुदायिक उत्प्रेरण किया जाना। CLTS के उपरान्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा लोहिया स्वच्छता योजना के लाभार्थियों की सूची वार्डवार अद्यतन कर तैयार करना। यह कार्य संबंधित ग्राम पंचायत से संबद्ध कर्मी द्वारा किया जाना।

b) अद्यतन लाभार्थी सूची को वार्ड सभा एवं ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाना।

c) अनुमोदित लाभार्थी सूची को जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर Baseline Survey में आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना।

7. **खुले में शौच से मुक्त पंचायत हेतु क्रियान्वयन के चरण :-**

DWSC जिले को ODF करने हेतु क्रियान्वयन इकाई के रूप में प्रखण्ड कार्यालय/संकुल संघ / ग्राम संगठन इत्यादि का चयन करेगा। तदुपरान्त कार्य योजना के अनुरूप वार्ड सभा / ग्राम सभा आयोजित कर खुले में शौच मुक्त गांव/पंचायत बनाने के लिए सभी ग्रामीणों के बीच चर्चा की जानी है साथ ही उनके उत्प्रेरण तथा उनमुखीकरण की कार्य योजना तैयार की जायेगी।

a) CLTS प्रशिक्षक द्वारा हर टोले में Triggering तथा स्वच्छता संबंधी जानकारी लोगों तक पहुँचाना। Triggering के उपरान्त स्वच्छता निगरानी समिति का गठन एवं उन्हें स्वच्छता के मुख्य बिन्दुओं की जानकारी देना।
b) सामग्री आपूर्ति प्रबंधन हेतु उचित एजेंसियों को चिन्हित करना तथा उनकी सूची बनाकर ग्राम पंचायत को देना। राजमिस्त्री का प्रशिक्षण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी प्रचार-प्रसार को तेज करना। शौचालय निर्माण कार्य में दिव्यांगों के समावेशन हेतु समावेशी शौचालय का निर्माण करना।
c) ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण आच्छादन हेतु व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के अतिरिक्त सभी सरकारी संस्थान विद्यालय, आँगनवाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पंचायत भवन इत्यादि में भी शौचालय निर्माण कराया जाना ।
d) समुदाय के उत्प्रेरण / उनमुखीकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटक, विडियो प्रदर्शन, दिव्यांग जन जागरूकता सहित स्वच्छता रैली इत्यादि का आयोजन करना।
e) शौचालय निर्माण की प्रगति का समुदाय आधारित अनुश्रवण एवं निगरानी करना।
f) निर्माण के उपरान्त भौतिक सत्यापन (दिव्यांग अनुकूल शौचालय सहित) तथा फोटोयुक्त दस्तावेजीकरण का कार्य।
g) स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के अन्तर्गत पंचायत स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर का प्रावधान है। सामुदायिक आवश्यकतानुसार चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जाना है।
h) 90 दिनों में ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त पंचायत की घोषणा (वार्डवार / ग्रामवार/ पंचायतवार)
i) प्रोत्साहन राशि का भुगतान ।

8. **शौचालय सत्यापन गतिविधि एवं समेकित सूचना प्रबंधन कार्य :-**

a) निर्मित शौचालयों का भौतिक सत्यापन वार्डवार/ग्रामवार, प्रखण्ड स्तर पर एवं जिला स्तर पर शौचालय निर्माण के उपरान्त लाभार्थियों से प्रोत्साहन राशि हेतु प्राप्त आवदेन 10 दिनों के अन्दर किया जाना है।
b) शौचालय का सत्यापन मोबाइल आधारित App. के माध्यम से फोटोयुक्त एवं Geo Tag पद्धति द्वारा किया जाना है। Mobile App. के माध्यम से सत्यापन हेतु DWSC ग्राम पंचायत से संबद्ध कर्मियों का मोबाइल नं० एवं आवश्यकतानुसार अन्य कर्मियों / स्वयं सेवियों / सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि इत्यादि के मोबाइल नं० को भी पंजीकृत किया जायेगा। तदुपरान्त प्रत्येक शौचालय हेतु विशिष्ट कोड (Geo – Tagged) उपलब्ध कराकर शौचालय निर्माण के उपरान्त उक्त कोड को शौचालय पर अंकित किया जाना है।
c) Online सूचना एवं Mobile App, विशिष्ट कोड से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जायेगा।
d) वर्त्तमान में शौचालय निर्माण के भौतिक सत्यापन एवं MIS में upload करने का कार्य Manual तरीके से किया जायेगा। Manual updation हेतु विहित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है ।

(Annexure – D)

e) शौचालय निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के IMIS पर अद्यतन किया जाना है।
f) पंचायत को ODF घोषित किए जाने के उपरान्त DWSC द्वारा गठित समिति, पूर्व में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में ODF घोषित पंचायत का सत्यापन कर MIS में अद्यतन किया जायेगा।

9. घरेलू शौचालय के निर्माण के उपरान्त प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया :-

अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप संबंधित वार्ड में शौचालय निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा वार्ड को ODF घोषित किए जाने के उपरान्त ही संबंधित वार्ड के लाभार्थियों के बीच भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। वार्ड सभा द्वारा वार्ड को ODF घोषित किए जाने के 7 (सात) दिनों के अन्दर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा Bank Advice के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का हस्तान्तरण किया जायेगा।

भविष्य में लाभार्थियों की प्रोत्साहन राशि का हस्तान्तरण Online (Host to Host पद्धति) द्वारा किया जायेगा जिसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश अलग से दिया जायेगा।

10. अत्यन्त गरीब परिवारों के लिए रणनीति (Strategy for Poorest of the poor) :-

खुले में शौच मुक्त वार्ड / ग्राम बनाने हेतु निर्धन परिवारों को संकुल संघ / ग्राम संगठन (जीविका) द्वारा चिन्हित कर उन्हें विशेष रूप से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु नियमित रूप से उनका उत्प्रेरण किया जायेगा। वैसे निर्धन परिवार जिनकी मासिक आय काफी कम है उन्हें शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :-

a) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की परिक्रमी निधि (Revolving Fund) को ग्राम संगठन के माध्यम से गरीब परिवार को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। शौचालय निर्माण तथा प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद लाभार्थी परिक्रमी राशि को ग्राम पंचायत/ग्राम संगठन को लौटा देंगे।
b) जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़े निर्धन परिवारों को SHAN FUND/CIF FUND के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
c) निर्धन परिवारों को Bank Linkage के माध्यम से भी राशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

11. स्वच्छता सामुदायिक संसाधन सेवी (Sanitation Community Resource Person – SCRP) / जिला संसाधन सेवी (District Resource Person- DRP) की उपयोगिता :-

जिला एवं पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित व्यक्तियों को सामुदायिक संसाधन सेवी (SCRP/DRP) के तौर पर पहचान एवं चयन DWSC/प्रखण्ड कार्यालय/ग्राम संगठन/संकुल संघ द्वारा की जा सकती है। ODF बिहार की प्राप्ति हेतु सामुदायिक संसाधन सेवी (SCRP/DRP) की महत्वपूर्ण भूमिका है जिनका मुख्य कार्य निम्नवत है :-

a) स्वच्छता संबंधी तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण एवं उनमुखीकरण करना।
b) जिला संसाधन सेवी/सामुदायिक संसाधन सेवी द्वारा प्रखण्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड स्तरीय प्रशिक्षण तथा शौचालय निर्माण (दिव्यांग अनुकूल शौचालय सहित) की तकनीकी जानकारी उपलबध कराया जाना।
c) ठोस एवं तरल अवशिष्टों के प्रबंधन (SLWM) हेतु तकनीकी सहयोग, सूचना एवं उनमूखीकरण किया जाना।

12. सामग्री आपूर्ति श्रृंखला (Material supply chain) की उपलब्धता :-

विभिन्न रणनीतियों के अनुरूप ग्राम / पंचायत स्तर पर शौचालय निर्माण सामग्री आपूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ किया जा सकता है :-

a) आसपास के बाजार में उपलब्ध निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्त्ताओं का आकलन एवं सूची बनाने हेतु जिला स्तर पर जिला समन्वयकों, स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधकों (जीविका) द्वारा तथा प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयकों / प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका) द्वारा कार्रवाई की जायेगी तथा आपूर्तिकर्त्ताओं का सर्वेक्षण कर, मूल्य तालिका तैयार की जायेगी। इस मूल्य तालिका को ग्राम पंचायतों एवं ग्राम स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता समिति (स्वच्छता समिति) के साथ साझा किया जायेगा।

b) सामाजिक उद्यमियों एवं बड़े उद्योगपतियों के साथ सहभागिता कर स्थानीय स्तर पर स्वच्छता विषयक उपकरणों का प्रोत्साहन, सामुदायिक खरीदारी के आधार पर उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त सामग्री की खरीद। शौचालय निर्माण हेतु अपेक्षित सामग्री में ईंट, सिमेण्ट, बालू, सिमेण्ट के रिंग, पैन,जलबंद (पी-ट्रैक) , पाइप, छत, कब्जा, दरवाजा आदि हैं, जिनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं :-

- सिमेण्ट रिंग एवं ईंट का निर्माण ग्रामीण उद्यमियों एवं संकुल संघ जैसी सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है।
- जीविका द्वारा गठित संकुलसंघ एवं ग्राम संगठन द्वारा सेनेटरी मार्ट की स्थापना की जा सकती है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत उपलब्ध परिक्रमी निधि वैसे सामुदायिक /स्थानीय उद्यमियों को दी जा सकती है जो सेनेटरी उद्योग प्रारम्भ करना चाहते हैं ।

**13 दिव्यांग अनुकूल (Disabled friendly) शौचालय निर्माण हेतु रणनीति :-**

a) Baseline सूची को अद्यतन करते समय वार्डवार / ग्रामवार दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को चिन्हित करना।

b) दिव्यांग अनुकूल शौचालय हेतु दिव्यांग जागरूक व्यक्तियों का संसाधन सेवी के रूप में चयन एवं उनका प्रशिक्षित किया जाना।

c) दिव्यांग अनुकूल शौचालय सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना।

d) दिव्यांग व्यक्तियों को वार्डवार/ग्रामवार निगरानी समिति में शामिल करना।

e) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शौचालय निर्माण के दौरान निगरानी समिति द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

f) चिन्हित दिव्यांग परिवार एवं सामुदायिक शौचालय में अन्तरराष्ट्रीय दिव्यांगता सूचक (Logo) लगाया जा सकता है।

**14. सामुदायिक स्वच्छता अकादमी (Community WASH Academy - CWA) की स्थापना :-**

सामुदायिक स्वच्छता अकादमी का मुख्य उद्देश्य "खुले में शौच से मुक्त" समुदाय की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वर्त्तमान में कार्यरत सभी स्थानीय सामुदायिक संस्थानों के सहयोग एवं समन्वय से सामुदायिक उत्प्रेरण (Community Mobilization) किया जाना है। CWA स्थानीय स्तर पर सामुदायिक पेशेवर (Community Professionals) का स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा ठोस एवं तरल अवशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण एवं उनमुखीकरण कराना।

सामुदायिक स्वच्छता अकादमी (CWA) के मुख्य कार्य निम्नलिखित होंगे :-

a) स्वच्छता एवं उससे संबंधित सभी प्रकार के प्रशिक्षण एवं जानकारी उपलब्ध कराना ।

b) Digital Library बनाना जिसमें स्वच्छता तथा ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन (SLWM) संबंधित फिल्मों / विडियो का संग्रहण एवं प्रसारित करना।

c) समुदाय के चिन्हित व्यक्तियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देकर जिला में Resource Pool तैयार करना तथा आवश्यकतानुसार उनकी सेवाएँ स्वच्छता कार्यक्रमों में लिया जाना।

d) वर्त्तमान में pilot के तौर पर CWA की स्थापना बिहार के चार जिलों यथा – मुजफ्फरपुर, गया,जहानाबाद एवं सहरसा में करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

**15. शौचालय निर्माण हेतु उपयुक्त शौचालय प्रौद्योगिकी (Appropriate Toilet Technology)**

शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थियों को शौचालय के विभिन्न विकल्पों की जानकारी का दिया जाना आवश्यक है ताकि शौचालय दीर्घकालीन तथा उपयोगी हो।

a) सामान्यत: दो गड्ढे वाला लीच पीट शौचालय का निर्माण किया जाना है परन्तु भौगोलिक परिस्थितियों (उच्च जलस्तर, बाढ़, जल की कमी, तटीय क्षेत्र इत्यादि) के अनुरूप उचित शौचालय तकनीक को अपनाया जाना आवश्यक है। बाढ़ग्रस्त तथा उच्च भूमिगत जलस्तर वाले क्षेत्रों में इकोसैन (Ecosan) शौचालय, जैविक शौचालय, कम्पोस्टेरा शौचालय जैसे शौचालय तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

b) भूमिहीन परिवारों तथा जमीन की अनुपलब्धता वाले टोलों/ गाँवों के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा सकता है। वैसे परिवार जिनमें दिव्यांग तथा वृद्ध व्यक्ति हों उनके सुविधायुक्त शौचालय का भी निर्माण किया जा सकता है।

c) लाभार्थियों द्वारा यदि सेप्टिक टैंक शौचालय का निर्माण किया जाता है तो उसमें सोक पीट का प्रावधान किया जाना आवश्यक है ताकि उसे उपयुक्त बनाया जा सके।

16. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में सहयोगी संस्थाएँ (Development Partners) की भूमिका :-

LSBA के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संगठनों से आपसी सहमति के आधार पर राज्य एवं जिला / प्रखण्ड / पंचायत स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं रणनीति सहयोग लिया जाना है।

सहयोग को इच्छुक संस्थाओं से राज्य स्तर पर Memorandum of Understanding (MoU) के हस्ताक्षर के उपरान्त ही संबंधित जिला जल एवं स्वच्छता समिति से एकरारनाम किया जायेगा। वर्त्तमान में कार्यरत सहयोगी संस्थाओं को आवंटित कार्य क्षेत्र के साथ, की सूची संलग्न की जाती है।

(Annexure-E)

अनुलग्नक :- यथोपरि।

5/8/2016
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक : 68/(4)0 दिनांक : 05/08/2016

प्रतिलिपि – सभी निदेशक-लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/2016
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक : 68/(4)0 दिनांक : 05/08/2016

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति /उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/2016
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक : 68/(4)0 दिनांक : 05/08/2016

प्रतिलिपि – सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/2016
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक : 68/(4)0 दिनांक : 05/08/2016

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/8/2016
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक : 68/स0 दिनांक : 05/08/2016

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं विकास आयुक्त बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक : 68/स0 दिनांक : 05/08/2016

प्रतिलिपि – मंत्री, ग्रामीण विकास के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांक : 68/स0 दिनांक : 05/08/2016

प्रतिलिपि – मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

Annexure-A

## Year wise and Quarter wise Target of IHHL for Bihar under Lohiya Swachcha Bihar Abhiyan (LSBA)

| Sl. No. | Name of District | Total Households BLS-2012 | Target of SBM-G/LSY as on 02.10.2014 | IHHL Progress from Oct. 2014 to Mar. 2016 | Remaining IHHL Target as on 01.04.2016 | Yearwise Target of IHHL | | | | Quarterwise Target of IHHL for 2016-17 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (2nd Oct.) | Progress of First Q | Target of Second Q | Target of Third Q | Target of Fourth Q |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Araria | 598793 | 531681 | 14245 | 517436 | 74482 | 155034 | 221477 | 66443 | 4572 | 10487 | 24469 | 34955 |
| 2 | Arwal | 143854 | 106575 | 3907 | 102668 | 12566 | 31536 | 45051 | 13515 | 88 | 1872 | 4367 | 6239 |
| 3 | Aurangabad | 557121 | 488713 | 5721 | 482992 | 68590 | 145041 | 207201 | 62160 | 422 | 10225 | 23859 | 34084 |
| 4 | Banka | 447629 | 374301 | 16444 | 357857 | 196821 | 161036 | 0 | 0 | 2197 | 29194 | 68119 | 97312 |
| 5 | Begusarai | 553402 | 353630 | 13343 | 340287 | 66428 | 95851 | 136930 | 41079 | 1808 | 9693 | 22617 | 32310 |
| 6 | Bhagalpur | 616977 | 495721 | 15216 | 480505 | 60319 | 147065 | 210093 | 63028 | 1439 | 8832 | 20608 | 29440 |
| 7 | Bhojpur | 588279 | 444076 | 11700 | 432376 | 56428 | 131582 | 187974 | 56392 | 963 | 8320 | 19413 | 27733 |
| 8 | Buxar | 375600 | 293416 | 8624 | 284792 | 35026 | 87418 | 124883 | 37465 | 379 | 5197 | 12126 | 17324 |
| 9 | Darbhanga | 866846 | 673988 | 22926 | 651062 | 358084 | 292978 | 0 | 0 | 902 | 53577 | 125014 | 178591 |
| 10 | Gaya | 361902 | 210117 | 23703 | 186414 | 12726 | 60791 | 86844 | 26053 | 1046 | 1752 | 4088 | 5840 |
| 11 | Gopalganj | 572111 | 476434 | 15767 | 460667 | 253367 | 207300 | 0 | 0 | 711 | 37898 | 88430 | 126328 |
| 12 | Jamui | 343178 | 276849 | 8015 | 268834 | 35973 | 81501 | 116431 | 34929 | 790 | 5277 | 12314 | 17592 |
| 13 | Jehanabad | 192237 | 153479 | 10762 | 142717 | 78494 | 64223 | 0 | 0 | 372 | 11718 | 27343 | 39061 |
| 14 | Kaimur (Bhabua) | 460246 | 388019 | 9700 | 378319 | 46970 | 115972 | 165675 | 49702 | 399 | 6986 | 16300 | 23286 |
| 15 | Katihar | 602455 | 387286 | 14465 | 372821 | 58373 | 110057 | 157224 | 47167 | 912 | 8619 | 20111 | 28731 |
| 16 | Khagaria | 382603 | 301226 | 7241 | 293985 | 161692 | 132293 | 0 | 0 | 279 | 24212 | 56494 | 80706 |
| 17 | Kishanganj | 374891 | 289828 | 13889 | 275939 | 31134 | 85682 | 122403 | 36721 | 1458 | 4451 | 10387 | 14838 |
| 18 | Lakhisarai | 202450 | 141670 | 8603 | 133067 | 12460 | 42212 | 60304 | 18091 | 1456 | 1651 | 3851 | 5502 |
| 19 | Madhepura | 474537 | 361666 | 12076 | 349590 | 42807 | 107374 | 153392 | 46017 | 202 | 6391 | 14912 | 21303 |
| 20 | Madhubani | 985340 | 882304 | 17094 | 865210 | 111235 | 263891 | 376988 | 113096 | 116 | 16668 | 38892 | 55560 |
| 21 | Munger | 248143 | 215333 | 12572 | 202761 | 25295 | 62113 | 88733 | 26620 | 447 | 3727 | 8697 | 12424 |
| 22 | Muzaffarpur | 926056 | 543542 | 33579 | 509963 | 90343 | 146867 | 209810 | 62943 | 744 | 13440 | 31360 | 44800 |
| 23 | Nalanda | 710147 | 619893 | 18895 | 600998 | 82265 | 181557 | 259367 | 77810 | 428 | 12276 | 28643 | 40919 |
| 24 | Nawada | 376691 | 294802 | 19042 | 275760 | 30699 | 85771 | 122531 | 36759 | 416 | 4542 | 10599 | 15142 |
| 25 | Pashchim Champaran | 886161 | 709358 | 17048 | 692310 | 380771 | 311540 | 0 | 0 | 2425 | 56752 | 132421 | 189173 |
| 26 | Patna | 686056 | 456247 | 26446 | 429801 | 51723 | 132327 | 189039 | 56712 | 1469 | 7538 | 17589 | 25127 |

| Sl. No. | Name of District | Total Households BLS-2012 | Target of SBM-G/LSY as on 02.10.2014 | IHHL Progress from Oct. 2014 to Mar. 2016 | Remaining IHHL Target as on 01.04.2016 | Yearwise Target of IHHL | | | | Quarterwise Target of IHHL for 2016-17 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (2nd Oct.) | Progress of First Q | Target of Second Q | Target of Third Q | Target of Fourth Q |
| 27 | Purba Champaran | 1101369 | 922359 | 13954 | 908405 | 499623 | 408782 | 0 | 0 | 1264 | 74754 | 174426 | 249179 |
| 28 | Purnia | 666209 | 497914 | 17112 | 480802 | 60319 | 147169 | 210242 | 63072 | 1764 | 8783 | 20494 | 29278 |
| 29 | Saharsa | 380881 | 279788 | 8834 | 270954 | 36970 | 81894 | 116992 | 35098 | 405 | 5485 | 12798 | 18283 |
| 30 | Samastipur | 1051154 | 857143 | 27333 | 829810 | 93398 | 257744 | 368206 | 110462 | 856 | 13881 | 32390 | 46271 |
| 31 | Saran | 818839 | 636645 | 20526 | 616119 | 79777 | 187720 | 268171 | 80451 | 279 | 11925 | 27824 | 39749 |
| 32 | Sasaram (Rohtas) | 651152 | 472673 | 11989 | 460684 | 60319 | 140128 | 200183 | 60055 | 409 | 8987 | 20969 | 29955 |
| 33 | Sheikhpura | 129745 | 92848 | 6450 | 86398 | 11620 | 26172 | 37389 | 11217 | 603 | 1653 | 3856 | 5509 |
| 34 | Sheohar | 170869 | 118384 | 15553 | 102831 | 13620 | 31224 | 44606 | 13382 | 912 | 1906 | 4448 | 6354 |
| 35 | Sitamarhi | 808097 | 729238 | 19637 | 709601 | 390281 | 319320 | 0 | 0 | 1528 | 58313 | 136063 | 194376 |
| 36 | Siwan | 692601 | 528481 | 11454 | 517027 | 71994 | 155762 | 222517 | 66755 | 318 | 10751 | 25087 | 35838 |
| 37 | Supaul | 517225 | 440541 | 9565 | 430976 | 64753 | 128178 | 183112 | 54933 | 2614 | 9321 | 21749 | 31070 |
| 38 | Vaishali | 877395 | 578562 | 16705 | 561857 | 309021 | 252836 | 0 | 0 | 457 | 46285 | 107998 | 154282 |
| **Total** | | **21399241** | **16624730** | **560135** | **16064595** | **4126766** | **5575940** | **4893761** | **1468128** | **37849** | **613337** | **1431121** | **2044458** |

## Year wise Target of ODF Gram Panchayats for Bihar under Lohiya Swachcha Bihar Abhiyan (LSBA)

| Sl. No. | District/Financial Year | Total No. of GPs | No. of GPs Declared ODF | Remaining Targeted GPs | Yearwise Target of GPs | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (2nd Oct.) |
| 1 | Araria | 218 | 1 | 217 | 28 | 66 | 95 | 28 |
| 2 | Arwal | 65 | 0 | 65 | 8 | 20 | 29 | 9 |
| 3 | Aurangabad | 203 | 0 | 203 | 26 | 62 | 89 | 27 |
| 4 | Banka | 185 | 2 | 183 | 101 | 82 | 0 | 0 |
| 5 | Begusarai | 229 | 2 | 227 | 29 | 69 | 99 | 30 |
| 6 | Bhagalpur | 242 | 3 | 239 | 31 | 73 | 104 | 31 |
| 7 | Bhojpur | 228 | 0 | 228 | 29 | 70 | 100 | 30 |
| 8 | Buxar | 142 | 0 | 142 | 18 | 43 | 62 | 19 |
| 9 | Darbhanga | 324 | 1 | 323 | 178 | 145 | 0 | 0 |
| 10 | Gaya | 332 | 0 | 332 | 42 | 102 | 145 | 44 |
| 11 | Gopalgunj | 234 | 4 | 230 | 127 | 104 | 0 | 0 |
| 12 | Jamui | 153 | 1 | 152 | 19 | 47 | 67 | 20 |
| 13 | Jehanabad | 93 | 2 | 91 | 50 | 41 | 0 | 0 |
| 14 | Kaimur | 149 | 0 | 149 | 19 | 46 | 65 | 20 |
| 15 | Katihar | 238 | 0 | 238 | 30 | 73 | 104 | 31 |
| 16 | Khagaria | 129 | 9 | 120 | 66 | 54 | 0 | 0 |
| 17 | Kishangunj | 126 | 0 | 126 | 16 | 39 | 55 | 17 |
| 18 | Lakhisarai | 80 | 0 | 80 | 10 | 25 | 35 | 11 |
| 19 | Madhepura | 170 | 0 | 170 | 22 | 52 | 74 | 22 |
| 20 | Madhubani | 399 | 0 | 399 | 51 | 122 | 174 | 52 |
| 21 | Munger | 101 | 1 | 100 | 13 | 30 | 44 | 13 |
| 22 | Muzaffarpur | 385 | 4 | 381 | 49 | 116 | 166 | 50 |
| 23 | Nalanda | 249 | 0 | 249 | 32 | 76 | 109 | 33 |
| 24 | Nawada | 187 | 0 | 187 | 24 | 57 | 82 | 24 |
| 25 | Paschim Champaran | 315 | 8 | 307 | 169 | 138 | 0 | 0 |

## Year wise Target of ODF Gram Panchayats for Bihar under Lohiya Swachcha Bihar Abhiyan (LSBA)

| Sl. No. | District/Financial Year | Total No. of GPs | No. of GPs Declared ODF | Remaining Targeted GPs | Yearwise Target of GPs | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 (2nd Oct.) |
| 26 | Patna | 327 | 3 | 324 | 42 | 99 | 141 | 42 |
| 27 | Purbi Champaran | 405 | 0 | 405 | 223 | 182 | 0 | 0 |
| 28 | Purnia | 246 | 3 | 243 | 31 | 74 | 106 | 32 |
| 29 | Saharsa | 153 | 1 | 152 | 19 | 47 | 67 | 20 |
| 30 | Samastipur | 381 | 1 | 380 | 48 | 116 | 166 | 50 |
| 31 | Saran | 326 | 0 | 326 | 41 | 100 | 143 | 43 |
| 32 | Sasaram | 246 | 0 | 246 | 31 | 75 | 108 | 32 |
| 33 | Sheikpura | 54 | 1 | 53 | 7 | 16 | 23 | 7 |
| 34 | Sheohar | 53 | 3 | 50 | 7 | 15 | 22 | 6 |
| 35 | Sitamarhi | 273 | 4 | 269 | 148 | 121 | 0 | 0 |
| 36 | Siwan | 293 | 0 | 293 | 37 | 90 | 128 | 38 |
| 37 | Supual | 181 | 0 | 181 | 23 | 55 | 79 | 24 |
| 38 | Vaishali | 290 | 5 | 285 | 157 | 128 | 0 | 0 |
| **Total** | | **8404** | **59** | **8345** | **1999** | **2868** | **2675** | **803** |

Annexure -B

## List of Blocks to be Implemented by BRLPS (JEEViKA)

| Sl. No. | Name of District | Name of Block |
|---|---|---|
| 1 | MUNGER | BARIYARPUR |
| 2 | MUNGER | TARAPUR |
| 3 | MUNGER | DHARHARA |
| 4 | MUNGER | KHARAGPUR |
| 5 | MUNGER | TETIABAMBAR |
| 6 | MUNGER | SANGRAMPUR |
| 7 | MUNGER | MUNGER SADAR |
| 8 | MUNGER | JAMALPUR |
| 9 | VAISHALI | DESRI |
| 10 | VAISHALI | GARAUL |
| 11 | VAISHALI | LALGANJ |
| 12 | VAISHALI | JANDAHA |
| 13 | VAISHALI | MAHUA |
| 14 | VAISHALI | BIDUPUR |
| 15 | VAISHALI | PATEDHI BELSAR |
| 16 | ARWAL | KALER |
| 17 | ARWAL | ARWAL |
| 18 | ARWAL | KURTHA |
| 19 | MADHEPURA | MURLIGANJ |
| 20 | MADHEPURA | MADHEPURA |
| 21 | MADHEPURA | GWALPARA |
| 22 | MADHEPURA | KUMARKHAND |
| 23 | MADHEPURA | PURANI |
| 24 | MADHEPURA | BIHARIGANJ |
| 25 | MADHEPURA | UDA KISHANGANJ |
| 26 | MADHEPURA | SHANKARPUR |
| 27 | MADHEPURA | SINGHESHWAR |
| 28 | MADHEPURA | GAMHARIYA |
| 29 | MADHEPURA | GHELARH |
| 30 | MADHEPURA | CHAUSA |
| 31 | PUR CHAMPARAN | TETARIYA |
| 32 | PUR CHAMPARAN | MOTIHARI |
| 33 | PUR CHAMPARAN | PAKRIDAYAL |
| 34 | PUR CHAMPARAN | MADHUBAN |
| 35 | PUR CHAMPARAN | ARERAJ |
| 36 | PUR CHAMPARAN | BANKATWA |
| 37 | PUR CHAMPARAN | CHAKIA (PIPRA) |
| 38 | PUR CHAMPARAN | RAXAUL |
| 39 | PUR CHAMPARAN | PAHARPUR |
| 40 | PUR CHAMPARAN | DHAKA |
| 41 | PUR CHAMPARAN | KALYANPUR |
| 42 | PUR CHAMPARAN | PIPRA KOTHI |
| 43 | PUR CHAMPARAN | RAMGARHWA |
| 44 | PUR CHAMPARAN | GHORASAHAN |
| 45 | PUR CHAMPARAN | TURKAULIA |

Annexure -B

## List of Blocks to be Implemented by BRLPS (JEEViKA)

| Sl. No. | Name of District | Name of Block |
|---|---|---|
| 46 | PUR CHAMPARAN | PATAHI |
| 47 | PUR CHAMPARAN | BANJARIYA |
| 48 | PUR CHAMPARAN | MEHSI |
| 49 | ROHTAS | SURAJPURA |
| 50 | ROHTAS | ROHTAS |
| 51 | ROHTAS | CHENARI |
| 52 | ROHTAS | SASARAM |
| 53 | ROHTAS | KOCHAS |
| 54 | ROHTAS | DINARA |
| 55 | ROHTAS | BIKRAMGANJ |
| 56 | ROHTAS | SHEOSAGAR |
| 57 | ROHTAS | KARGAHAR |
| 58 | SHEIKHPURA | ARIARI |
| 59 | SHEIKHPURA | SHEIKHOPUR SARAI |
| 60 | SHEIKHPURA | CHEWARA |
| 61 | SHEIKHPURA | BARBIGHA |
| 62 | AURANGABAD | DEO |
| 63 | AURANGABAD | DAUDNAGAR |
| 64 | AURANGABAD | MADANPUR |
| 65 | AURANGABAD | BARUN |
| 66 | AURANGABAD | NABINAGAR |
| 67 | AURANGABAD | RAFIGANJ |
| 68 | KATIHAR | HASANGANJ |
| 69 | KATIHAR | MANSAHI |
| 70 | KATIHAR | FALKA |
| 71 | KATIHAR | SAMELI |
| 72 | KATIHAR | KURSELA |
| 73 | KATIHAR | DANDKHORA |
| 74 | KATIHAR | KATIHAR |
| 75 | KATIHAR | MANIHARI |
| 76 | KATIHAR | KORHA |
| 77 | KATIHAR | PRANPUR |
| 78 | KATIHAR | KADWA |
| 79 | KATIHAR | BARARI |
| 80 | SAMASTIPUR | TAJPUR |
| 81 | SAMASTIPUR | BITHAN |
| 82 | SAMASTIPUR | DALSINGHSARAI |
| 83 | SAMASTIPUR | KHANPUR |
| 84 | SAMASTIPUR | SINGHIA |
| 85 | SAMASTIPUR | HASANPUR |
| 86 | SAMASTIPUR | PATORI |
| 87 | SAMASTIPUR | SARAI RANJAN |
| 88 | SAMASTIPUR | MOHIUDDIN NAGAR |
| 89 | SAMASTIPUR | WARISNAGAR |
| 90 | PURNEA | BHAWANIPUR |

Annexure -B

## List of Blocks to be Implemented by BRLPS (JEEViKA)

| Sl. No. | Name of District | Name of Block |
|---|---|---|
| 91 | PURNEA | BARHARA KOTHI |
| 92 | PURNEA | RUPAULI |
| 93 | GAYA | AMAS |
| 94 | GAYA | BARACHATTI |
| 95 | GAYA | BODH GAYA |
| 96 | GAYA | SHERGHATI |
| 97 | KHAGARIA | ALAULI |
| 98 | KHAGARIA | CHAUTHAM |
| 99 | KHAGARIA | KHAGARIA SADAR |
| 100 | SUPAUL | PRATAPGANJ |
| 101 | MADHUBANI | JAINAGAR |
| 102 | MADHUBANI | KHAJAULI |
| 103 | MADHUBANI | JHANJHARPUR |
| 104 | NALANDA | RAJGIR |
| 105 | PATNA | SAMPATCHAK |
| 106 | JEHANABAD | MAKHDUMPUR |
| 107 | JEHANABAD | GHOSHI |
| 108 | JEHANABAD | HULASGANJ |
| 109 | JEHANABAD | SADAR |
| 110 | JEHANABAD | KAKO |
| 111 | JEHANABAD | MODANGANJ |
| 112 | JEHANABAD | RATNI FARIDPUR |
| 113 | SAHARSA | SAUR BAZAR |
| 114 | MUZAFFARPUR | BOCHAHA |
| 115 | MUZAFFARPUR | SARAIYA |
| 116 | MUZAFFARPUR | MURAUL |
| 117 | MUZAFFARPUR | BANDRA |
| 118 | MUZAFFARPUR | KURHANI |
| 119 | MUZAFFARPUR | MINAPUR |
| 120 | MUZAFFARPUR | MUSHAHARI |
| 121 | MUZAFFARPUR | SAKRA |
| 122 | MUZAFFARPUR | GAIGHAT |
| 123 | MUZAFFARPUR | MOTIPUR |
| 124 | MUZAFFARPUR | KANTI |
| 125 | MUZAFFARPUR | PAROO |
| 126 | MUZAFFARPUR | SAHEBGANJ |
| 127 | MUZAFFARPUR | MARWAN |
| 128 | BHOJPUR | SAHAR |
| 129 | BHOJPUR | JAGDISHPUR |
| 130 | ROHTAS | BIKRAMGANJ |
| 131 | ROHTAS | TILAUTHU |

Annexure-C

## प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों को ग्राम पंचायत आवंटन प्रपत्र

**जिला का नाम:** **प्रखंड का नाम:**

| क्रम सं. | आवंटित ग्राम पंचायत का नाम | प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों/ कर्मियों का नाम | पदनाम | मोबाइल नंबर | whatsupp मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह- प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी

Annexure - D

'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत **APL / BPL परिवार** के लाभुकों के घरों में निर्मित शौचालय की सूची

प्रखंड–.........................

| क्र० | लाभुक का नाम | पिता / पति का नाम | ग्राम / टोला | पंचायत | ए०पी०एल० / बी0पी0एल0 पहचान सं० | कोटि<br>अनु जा० / ज० जा० / लघु सिमांत किसान / वासभूमि मजदूर / महिला प्रधान / विकलांग प्रमुख परिवार | राशि | फोटोग्राफ संलग्न हाँ / नहीं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

प्रखंड समन्वयक का हस्ताक्षर
प्रखंड–....................................

प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी
(हस्ताक्षर एवं मुहर)

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

# लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

## शौचालय निर्माण के उपरांत लाभार्थी द्वारा दिया जानेवाला आवेदन पत्र सह निरीक्षण एवं सत्यापन प्रपत्र

**आवेदन संख्याः** दिनांकः

प्रखंड क्रियान्वयन इकाई .....................

| | |
|---|---|
| 1. लाभार्थी का नामः | 2. पिता/पति का नामः |
| 3. टोलाः | 4. गांवः पंचायतः |
| 5. लाभार्थी परिवार की श्रेणीः<br>अ.ज.जाः ☐ अ.जाः ☐<br>महिला प्रधान परिवारः ☐ छोटे एवं मध्यम किसानः ☐<br>भूमिहीन मजदूरः ☐ शारीरिक रुप से विकलांगः ☐ | 6. ए.पी.एल (संख्या): बी.पी.एल (संख्या):<br>ए.पी.एल/बी.पी.एल (संख्या) नहीं है ☐<br>बेसलाईन क्रम संख्या *(मुखिया/वार्ड सदस्य/प्रखण्ड समन्वयक से संपर्क कर लिखें)* : |
| 7. बैंक खाता संख्याः<br>8. बैंक का IFSC कोड बैंक का नामः<br>11. बैंक शाखा का नामः | 9. मोबाईल संख्याः<br>10. शौचालय निर्माण का तिथिः |

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे परिवार के नाम पर पूर्व में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं लिया है और न किसी सरकारी योजना के तहत मेरे परिवार के लिए शौचालय निर्माण किया गया है।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

| | | | |
|---|---|---|---|
| (कार्यालय जाँच हेतु) :<br>शौचालय जाँच की तिथि : | | | *लाभार्थी से प्राप्त तस्वीर चिपकायें* |
| निर्मित शौचालय के घटक | | | |
| 1. शौचालय का प्रकार<br>☐ सेप्टिक टैंक सोखता गढ्ढा के साथ<br>☐ कम्पोस्ट शौचालय<br>☐ दो गढ्ढे वाला लिच पीट शौचालय | | | |
| 2. पैन का प्रकारः | रूरल पैन ☐ अरबन पैन☐ | | |
| 3. ईंट का सुपर स्ट्रक्चरः | हाँ ☐ नहीं ☐ | | |
| 4. छतः | प्रीकास्ट (RCC) ☐ एसबेसटस☐ | | |
| 5. दरवाजाः | हाँ ☐ नहीं ☐ | | |
| 6. शौचालय में पानी भंडारण की तथा हाथ धोने की व्यवस्थाः | | हाँ ☐ नहीं ☐ | |
| 7. दो लिच पिट शौचालय के लिए Y जक्शन/जंक्शन चेम्बरः | | हाँ ☐ नहीं ☐ | |

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान्/श्रीमती ........................................................ द्वारा निर्माण किये गये व्यक्तिगत शौचालय की जाँच की गयी तथा उक्त घटकों के साथ पूर्ण ☐/अपूर्ण ☐ पाया गया।

संकुल संघ/ग्राम संगठन के प्रतिनिधि/वार्ड सदस्य
ग्राम/ वार्ड ..............................................

संबद्ध कर्मी/पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
पंचायत...............................

आवेदन की तिथिः ☐ सत्यापन की तिथिः ☐ भुगतान की तिथिः ☐

---

## पावती

आवेदन संख्या .................... दिनांक ....................

श्रीमान्/श्रीमति ................................................................................ द्वारा स्वयं व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है।

संकुल संघ/ग्राम संगठन के प्रतिनिधि/वार्ड सदस्य

ग्राम/ वार्ड ..............................................

संबद्ध कर्मी/पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पंचायत...............................

**Annexure-E**

## ग्रामीण स्वच्छता के कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे सहयोगी संस्थाओं का विवरण

| क्र. सं. | सहयोगी संस्थान का नाम | सहयोग एवं आच्छादन जिला |
|---|---|---|
| 1. | **युनिसेफ (unicef), बिहार**<br>द्वारा श्री प्रवीण मोरे, वॉश विशेषज्ञ<br>मो. 9771413024<br>E-mail: pmore@unicef.org | राज्य स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वियन में तकनीकी एवं क्षमता संवर्द्धन सहयोग<br>**सीतामढ़ी, रोहतास, वैशाली एवं खगड़िया** जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वयन सहयोग<br>गंगा कार्य योजना अंतर्गत **वैशाली एवं खगड़िया** जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वयन सहयोग |
| 2. | **वॉटर फॉर पीपुल (Water for People)**<br>द्वारा श्री अभिषेक चटर्जी, राज्य समन्व्यक<br>मो. 9162105069<br>E-mail: achatterjee@waterforpeople.org | **शिवहर** जिला में कार्यक्रम क्रियान्वयन सहयोग |
| 3. | **ग्लोबल सैनिटेशन फण्ड-एन०आर०एम०सी० (Global Sanitation Fund-NRMC)**<br>द्वारा डॉ० अनूप त्रिपाठी, राज्य प्रबंधक<br>मो. 9934302546<br>E-mail: anoopt@nrmc.co | राज्य स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वियन में तकनीकी सहयोग<br>**बांका, गोपालगंज, पश्चिम चम्पारण, पटना** (केवल **मनेर** प्रखण्ड), **नालन्दा** (केवल **राजगीर** प्रखण्ड) एवं **मधुबनी** (केवल **झंझारपुर** प्रखण्ड) में कार्यक्रम क्रियान्वयन सहयोग<br>गंगा कार्य योजना अन्तर्गत **बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना एवं लखीसराय** जिलों के **67 ग्राम पंचायतों** में कार्यक्रम क्रियान्वयन सहयोग |
| 4. | **डब्लू०एस०पी०-दक्षिण एशिया**<br>द्वारा श्री अक्षय कश्यप, ऑपरेशन मैनेजर, विश्व बैंक<br>मो. 9999334517<br>E-mail: akashyap@worldbank.org | **जहानाबाद, शेखपुरा एवं कैमूर** में क्षमता वर्द्धन सहयोग<br>विश्व बैंक द्वारा सहयोग किये जानेवाले 10 जिलों यथा – **पटना, नालन्दा, नवादा, बेगूसराय, बांका, मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिम चम्पारण, मुंगेर एवं पूर्णिया** सहित 15 जिलों में तकनीकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन सहयोग विमर्शित |
| 5. | **पी०एस०आई०-बी०एम०जी०एफ०**<br>द्वारा श्री सत्य प्रकाश चौबे, राज्य प्रबंधक<br>मो. 7766900660<br>E-mail: satyaprakash@psi.org.in | **बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं लखीसराय** में ग्रामीण स्वच्छता मार्ट / उत्पादन केन्द्र के माध्यम से आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन (Supply Chain Management) में सहयोग |
| 6. | **वॉटर एड (Water Aid)**<br>द्वारा श्री सत्यजीत घोष, राज्य प्रबंधक<br>मो. 7091091384<br>E-mail: satyajitghosh@wateraid.org | **पटना, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं मधुबनी** में कार्यक्रम क्रियान्वयन सहयोग<br>गंगा कार्य योजना अंतर्गत **पटना एवं समस्तीपुर** जिलों के **16 ग्राम पंचायतों** में कार्यक्रम क्रियान्वयन सहयोग |